प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 24/2006

अपीलार्थी : कोंदी बाई उर्फ उन्नारी

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 133/2006

अपीलार्थी : अर्जुन व एक अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 161/2006

अपीलार्थी : फूल सिंह व एक अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ राज्य

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर मै सहमत हूँ।

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 16.04.2010 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

दांडिक अपील क्रमांक 24/2006

अपीलार्थी : कोंदी बाई उर्फ उन्नारी, पति दादू तेलगु, उम्र लगभग 53 वर्ष, निवासी भीमखोज, थाना एवं जिला महासमुंद (छ.ग.)

(अभिरक्षा में)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, महासमुंद, जिला. महासमुंद (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 133/2006

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थीगण : 1. अर्जुन, पिता रामजी तेलगु गोंड, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी अबराड, थाना महासमुंद, जिला. महासमुंद (छ.ग.)

(अभिरक्षा में)

2. पुनित, पिता रामचंद तेलगु गोंड, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी संतोषी नगर, भीमखोज, थाना एवं जिला. महासमुंद (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, महासमुंद, जिला. महासमुंद (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 161/2006

अपीलार्थीगण : 1. फूल सिंह, पिता रायपा तेलगु, उम्र लगभग 43 वर्ष, निवासी भीमखोज थाना महासमुंद, जिला. महासमुंद (छ.ग.)

(अभिरक्षा में)

2. दिनेश, पिता बरातू राम नेताम, उम्र लगभग 22 वर्ष,

निवासी पंचशील नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग (छ.ग.)

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना, महासमुंद, जिला. महासमुंद (छ.ग.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के तहत अपीलें।

<u>उपस्थित:-</u>

दांडिक अपील क्रमांक 24/2006 में अपीलार्थी की ओर से श्री जे आर. वर्मा, अधिवक्ता।

दांडिक अपील क्रमांक 133/2006 में अपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर से श्री राजकुमार गुप्ता सहित श्री जितेंद्र गुप्ता, अधिवक्ता

दांडिक अपील क्रमांक 133/2006 में अपीलार्थी क्रमांक 2 की ओर से श्री संतोष कुमार तिवारी, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री आशीष शुक्ला, शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

.....

<u>आदेश</u>

(दिनांक 16.04.2010 को पारित)

न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. चूंकि उपरोक्त तीनों दांडिक अपीलें सत्र विचारण क्रमांक 424/2003 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा पारित दिनांक 21-12-2005 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के एक ही निर्णय से उद्भूत हुई हैं, अतः उनका निराकरण इस एक समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. इन तीन दांडिक अपीलों में सत्र विचारण क्रमांक 424/2003 में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद द्वारा पारित दिनांक 21-12-2005 के दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को आपराधिक मानव वध के समान उद्देश्य वाले विधि विरुद्ध जमाव के गठन क अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष करते हुए रवि एवं दुकालू की हत्या, शंकर की हत्या का प्रयास और घातक शस्त्र से सज्जित होकर रात्रि में दांडिक गृहभेदन कारित करने के बाद शांति बाई को तेज धार वाले शस्त्र से साधारण चोट पहुंचाने के अपराध कारित करने के लिए सिद्धदोष किया था; अपीलार्थीगण को दुकालू की हत्या कारित करने के लिए धारा 148, 302 सहपठित धारा 149, रवि की हत्या कारित करने के लिए धारा 302 सहपठित धारा 149, 307 सहपठित धारा 149, 324 सहपठित धारा 149 एवं 460 के तहत सिद्धदोष किया गया था, और उनमें से प्रत्येक को दो वर्ष के लिए सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड अदा करने तथा अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने, आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड अदा करने, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में पांच महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने, आजीवन कारावास और 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड अदा करने, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में सश्रम कारावास भुगतने, सात वर्ष के लिए सश्रम कारावास भुगतने और 3,000/- रुपये का अर्थदण्ड अदा करने, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में तीन महीने के अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने, दो वर्ष के सश्रम कारावास भुगतने और 1,000/- रुपये का अर्थदण्ड अदा करने, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में एक महीने के लिए सश्रम कारावास भुगतने, दस वर्ष के सश्रम कारावास भुगतने और 2,000/- रुपये का अर्थदण्ड अदा करने, अर्थदण्ड के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में दो महीने के लिए सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दोषसिद्धि इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी साक्ष्य के, विशेष रूप से रवि और दुकालू की हत्या करने, शंकर की हत्या करने का प्रयास करने और शांति बाई को साधारण चोट पहुंचाने के

समान उद्देश्य से विधि विरुद्ध जमाव के गठन से संबंधित साक्ष्य के बिना, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सिद्धदोष किया और दंडित किया और इस प्रकार अवैधता का कार्य किया।

4. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दोनों पक्ष शत्रुतापूर्ण संबंध में थे और दिनांक 26-8-2003 के घटना दिनांक की रात्रि को 2-2.30 बजे (मध्यरात्रि) शांति बाई (अ.सा.-3) - दुकालू (अब मृत) की पत्नी अपने पति और बच्चों के साथ अपने कमरे में दरवाजा बंद करके सो रही थी, उसका देवर रवि (अब मृत) दूसरे कमरे में सो रहा था। रवि ने सहायता के लिए आवाज लगाई जिस पर वह जाग गई, दरवाजा खोला और उस समय बिजली जलाई, अभियुक्त गिरधारी, नंद किशोर, बाबू, बुधा अर्जुन, पोतराजू, बड़ा अर्जुन, दिनेश, अर्जुन, फूल सिंह, यशोदा, गनेसी, कोंदी बाई, संतोषी, दौलू, नीलकंठ, पुनीत, पिंटू और विजय उपस्थित थे, उनके हाथों में तलवार, खंजर, कुल्हाड़ी, कुकरी, कुदाल, छढ और डंडा था, वे रवि पर हमला कर रहे थे जिसके परिणामस्वरूप रवि नीचे गिर गया, उसके बाद, वे शांति बाई (अ.सा.-3) की ओर आए और उसके साथ भी मारपीट की, बेगा राजू ने उस पर तलवार से हमला किया। दुकालू (अब मृतक) अपने घर के अन्दर गया और अन्दर से दरवाजा बंद कर लिया, जिस पर सभी अभियुक्तगण दरवाजा तोड़कर कमरे के अन्दर घुस गये और दुकालू पर हमला कर दिया, उन्होंने दुकालू के हाथ-पैर काट दिये जिससे वह गिर गया और उन्होंने शंकर पर भी हमला कर दिया। रवि की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। दुकालू कुछ देर तक जीवित रहा। सभी अभियुक्तगण ने पूर्व शत्रुता के कारण उन पर हमला किया है। घटना के दिनांक को कुछ अभियुक्त बाहर से आए थे। पुलिस शांति बाई (अ.सा.-3) के गाँव आई, तब उसने प्र.पी-27 के तहत देहाती नालसी दर्ज कराई। देहाती नालसी के आधार पर प्र.पी-16 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। देहाती मर्ग प्र.पी-26 के तहत दर्ज किया गया। रवि और दुकालू से संबंधित पंजीकृत मर्ग प्र.पी-17 और प्र. पी.18 के तहत दर्ज किया गया। प्र.पी-1 के तहत साक्षियों का समन करने के बाद, प्र.पी-2 के तहत दुकालू के शव की मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। प्र.पी-3 के तहत साक्षियों का समन करने के बाद, प्र.पी-14 के तहत रवि के शव का मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। शवों को प्र.पी-20ए और प्र-21ए के तहत महासमुंद के शासकीय चिकित्सालय

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

में शव परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. एस. चंद्रवंशी (अ.सा.-13) ने रवि के शव का शव परीक्षण प्र.पी.-20 के अनुसार किया और निम्नलिखित चोटें पाईं: -

(1) दाहिने माथे पर 6 सेमी x 0.5 सेमी x 0.2 सेमी का फटा हुआ घाव।

(2) बाएँ पश्चकपाल क्षेत्र पर 5 सेमी x 0.5 सेमी x 0.2 सेमी का फटा हुआ घाव।

(3) बाएँ कंधे पर 5 सेमी x 1 सेमी x 1.5 सेमी की अस्थि में गहरा कटा हुआ घाव, ह्यूमरस अस्थि दिखाई दे रही थी।

(4) बाएँ हाथ के निचले 1/3 भाग पर पीछे और पार्श्व भाग पर 0.8 सेमी x 0.3 सेमी x 1 सेमी के चार छूरा घोंपने का घाव।

(5) रक्तगुल्म 6 सेमी x 6 सेमी, बाएँ अग्रबाहु के मध्य भाग का 1/3 भाग पूरी तरह से अस्थिभंग के साथ, अस्थिभंग वाला हिस्सा स्वतंत्र रूप से हिलने-डुलने योग्य था।

(6) छूरा घोंपने का घाव 0.8 सेमी x 0.3 सेमी x 1 सेमी. दाहिने हाथ के मध्य भाग के पीछे के 1/3 भाग पर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) बाएँ निचले अंग के निचले 1/3 भाग का संयुक्त अस्थिभंग, बाएँ टखने से 8 सेमी. ऊपर, टिबिया की अस्थि अस्थिभंग से बाहर निकली हुई थी।

(8) दाएँ निचले अंग पर चार छूरा घोंपने का घाव, प्रत्येक 1 सेमी. x 0.4 सेमी. x 2 सेमी.

रवि की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आघात से हुई।

5. दुकालू के शव का शव परीक्षण भी डॉ. एस. चंद्रवंशी (अ.सा.-13) द्वारा प्र.पी.-21 के तहत किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

(1) बाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 4 सेमी x 0.3 सेमी x 0.3 सेमी का कटा हुआ घाव।

(2) बाएँ अग्रबाहु के निचले 1/3 भाग पर 6 सेमी x 1.5 सेमी x 4 सेमी का कटा हुआ घाव। रेडियस और अल्ना पूरी तरह से कटी हुई, बायाँ हाथ केवल खाल के अंत से जुड़ा हुआ लटका हुआ था।

(3) दाएँ अग्रबाहु के निचले 1/3 भाग पर 6 सेमी x 1.5 सेमी x 4 सेमी का कटा हुआ घाव। रेडियस और अल्ना पूरी तरह से कटी हुई, केवल खाल के अंत से जुड़ा हुआ। दायाँ हाथ लटका हुआ था।

(4) दाएँ हाथ के मध्य 1/3 पार्श्व भाग पर 6 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(5) दाएँ हाथ के हथेली वाले भाग पर 6 सेमी x 0.3 सेमी x 0.5 सेमी का कटा हुआ घाव।

(6) बाएँ घुटने के जोड़ के मध्य में 5 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव।

(7) बाएँ मध्य त्वचा पर 0.8 सेमी x 0.3 सेमी x 0.5 सेमी का छुरा घाव।

(8) दाएँ निचले अंग के ऊपरी 1/3 पार्श्व भाग पर 5 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी का चीरा हुआ घाव।

(9) दाएँ घुटने के जोड़ के अग्र भाग पर 1 सेमी x 0.3 सेमी x 0.3 सेमी का छूरा घोंपने का घाव। दुकालू की मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के कारण आघात से हुई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आहत शंकर की भी डॉ. एस. चंद्रवंशी (अ.सा.-13) द्वारा प्र.पी.-22 के अनुसार परीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

(1) दाहिनी कोहनी के जोड़ पर 3.5 सेमी x 1.5 सेमी x 1 सेमी का कटा हुआ घाव, अस्थि दिखाई दे रही थी।

(2) दाहिनी बांह के ऊपरी 1/3 भाग पर 2 सेमी x 0.5 सेमी x 0.2 सेमी का फटा हुआ घाव।

(3) बाईं बांह के ऊपरी 1/3 भाग पर पृष्ठीय रूप से 5 सेमी x 5 सेमी का रक्तगुल्म, रक्तगुल्म पर 5 सेमी x 1 सेमी का कालापन लिए हुए घाव।

(4) दाहिनी जांघ के मध्य भाग पर 4 सेमी x 1 सेमी का घाव, पार्श्व में 1/3 भाग, कालापन लिए हुए।

(5) दाहिने निचले अंग के मध्य भाग के 1/3 भाग पर 3 सेमी x 0.5 सेमी का चोट का निशान, पार्श्व में कालापन लिए हुए। शंकर का एक्स-रे किया गया।

बायीं अल्ना के मध्य शाफ्ट और दाहिनी ह्यूमरस अस्थि के पार्श्व कंडाइन में अस्थिभंग पाया गया, जैसा कि प्र.पी.-23 में दर्शाया गया है।

7. आहत शांति की भी डॉ. ए.के. एस. चंद्रवंशी (अ.सा.-13) द्वारा प्र.पी.-24 के अनुसार परीक्षण किया गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं: -

(1) बाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 1 सेमी x 0.2 सेमी x 0.2 सेमी का कटा हुआ घाव।

(2) बाएँ हाथ के मध्य भाग के 1/3 पार्श्व भाग पर 3 सेमी x 0.2 सेमी x 0.2 सेमी का कटा हुआ घाव।

(3) बाएँ मध्यमा उंगली के सिरे पर 0.7 सेमी x 0.2 सेमी x 0.1 सेमी का फटा हुआ घाव।

(4) दाएँ अग्रबाहु के ऊपरी 1/3 पृष्ठीय भाग पर 2 सेमी x 2 सेमी का रक्तगुल्म।

(5) बाएँ अग्रबाहु के मध्य भाग के 1/3 पृष्ठीय भाग पर 4 सेमी x 4 सेमी का रक्तगुल्म।

(6) बाएँ अंगूठे के आधार पर पृष्ठीय दिशा में 1 सेमी x 1 सेमी का रक्तगुल्म।

(7) बाएँ निचले अंग पर 2 सेमी x 2 सेमी का रक्तगुल्म, बाएँ टखने के जोड़ से 8 सेमी ऊपर, पार्श्व में।

(8) दाएँ निचले अंग पर 2 सेमी x 2 सेमी का रक्तगुल्म, दाएँ टखने के जोड़ से 10 सेमी ऊपर, पार्श्व में।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. दोनों अपराधों अर्थात अपराध क्रमांक 398/2003 और 399/2003 (वर्तमान अपराध और रणजीत की हत्या से संबंधित अपराध) में सिलसिलेवार अपराध होने के कारण एक ही विवेचना अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से विवेचना की गई थी। सत्र विचारण क्रमांक 423/2003 में अपीलार्थी अर्जुन के स्वीकारोक्ति कथन, प्र.पी.-5सी के आधार पर गंडासा, प्र.पी-6सी के तहत बरामद किया गया था। घटनास्थल से रक्तरंजित मिट्टी और सादी मिट्टी, प्र.पी.-7, प्र.पी-8 और प्र.पी-9 के तहत बरामद किया गया था। घटनास्थल से रक्तरंजित एक छड़ी, प्र.पी.-10 के तहत बरामद की गई थी। शांति बाई से

रक्तरंजित साड़ी और ब्लाउज, प्र.पी.-11 के तहत जब्त किए गए थे। घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.-13 के तहत तैयार किया गया था। विवेचना के दौरान, नीम के पेड़ के नीचे से एक तलवार और कुकरी बरामद की गई। प्र.पी.-19 के तहत सत्र विचारण क्रमांक 423/2003 (अपराध क्रमांक 398/2003) में जब्त की गई वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए प्र.पी.-28 के तहत भेजा गया।

9. साक्षियों के कथन दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और विवेचना पूरी होने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महासमुंद के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, रायपुर को सौंप दिया, जहाँ से विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले को सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थीगण के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने बीस साक्षियों का परीक्षण किया। अभियुक्तगण का दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, निर्दोषता और शत्रुता के कारण झूठे फंसाये जाने का अभिवाक किया। उन्होंने अपने बचाव में जगत (ब.सा.-1), ईश्वर प्रसाद साहू (ब.सा.-2), श्यामराज (ब.सा.-3) और अमरावतीन बाई (ब.सा.-4) का परीक्षण किया। जगत (ब.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन अपीलार्थी फूल सिंह कांकेर में उसके साथ था। फूल सिंह की पत्नी अमरावतीन बाई (ब.सा.-4) ने भी यही अभिसाक्ष्य दिया है। ईश्वर प्रसाद साहू (ब.सा.-2) और श्यामराज (ब.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन अपीलार्थी अर्जुन उनके साथ अवराडा में था। हालाँकि, अपने प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वे यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि वास्तव में किस तिथि को अर्जुन उनके साथ था या फूल सिंह उनके साथ था। हालाँकि वे भी साक्षी हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन उनके साक्ष्य संदेह से भरे हैं और विश्वास उत्पन्न नहीं करते।

11. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपर्युक्तानुसार सिद्धदोष और दण्डित किया।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, आक्षेपित निर्णय और विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

13. अपीलार्थी कोंदी बाई उर्फ उन्नारी के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि केवल शांति बाई (अ.सा.-3) और शंकर (अ.सा.-4) ने ही कोंदी बाई का नाम बताया है और कहा है कि कोंदी बाई भी उपस्थित थीं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि कोंदी बाई की क्या भूमिका थी। कोंदी बाई द्वारा निभाई गई किसी भी भूमिका के अभाव में, उनकी मात्र उपस्थिति यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उन्होंने रवि और दुकालू की हत्या करने और अन्य व्यक्तियों को घातक चोटें पहुँचाने के समान उद्देश्य से अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठान किया था, और विधि विरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, उन्होंने और अन्य सदस्यों ने उपरोक्त अपराध कारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलार्थीगण के शिकायतकर्ता पक्ष के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे। मृतक रवि, मृतक दुकलाऊ और मृतक रंजीत (एक अन्य मामले में मृत) के कई व्यक्तियों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, उनके विरुद्ध कई दांडिक मामले लंबित थे, उनका आपराधिक इतिहास रहा है और घटना के दिन गुंडों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन शत्रुता के कारण मृतकों की पत्नियों और उनके निकट संबंधियों ने अपीलार्थीगण को झूठा फंसाया है। अपीलार्थीगण ने कोई चोट नहीं पहुँचाई है, उन्होंने रवि और दुकलाऊ की हत्या करने और शंकर और शांति बाई सहित अन्य व्यक्तियों को घातक चोटें पहुँचाने के समान उद्देश्य से कोई विधि विरुद्ध जमाव नहीं किया है। अत्यधिक रुचि रखने वाले साक्षियों के साक्ष्य विश्वास उत्पन्न नहीं करते हैं, उनके साक्ष्य

विश्वसनीय और भरोसा करने योग्य नहीं हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **संभाजी हिंदूराव देशमुख एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह दर्शाने वाले विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में कि अभियुक्तगण ने समान उद्देश्य से मृतक या उसके परिवार के किसी सदस्य पर हमला किया या उसे चोट पहुँचाई और यदि घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदिग्ध थी, तो उन अभियुक्तगण को दोषमुक्त करना उचित है। विद्वान अधिवक्ता ने इसके अलावा **फागू मांझी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और एक अन्य**[2] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि केवल तीन अभियुक्तगण ने विभिन्न प्रकार के शस्त्र से सज्जित होकर मृतक का पीछा किया और उसे चोटें पहुँचाईं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, अन्य अभियुक्त केवल उक्त तीन हमलावरों के पीछे भाग रहे थे और मृतक को लगी सभी चोटें उक्त तीन हमलावरों के विरुद्ध कथित कृत्यों के कारण लगी हैं, भाग रहे बाकी अभियुक्तगण की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **भग्गा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[3] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अभियुक्त की उपस्थिति, उसे सौंपी गई भूमिका और मृतक की हत्या करने के ऐसे अभियुक्त के समान उद्देश्य के अभाव में, ऐसे अभियुक्त की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **बोया टी. वेंकटेश्वरलू एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[3][4] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्तगण के साथ-साथ अभियुक्तगण के नामों के अभाव और ऐसे अभियुक्तगण द्वारा सौंपी गई भूमिका से संबंधित साक्ष्य के अभाव में, ऐसे अभियुक्तगण की दोषसिद्धि संधारणीय नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने सभी दांडिक अपीलों का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि नागी बाई (अ.सा.-1), शांति बाई (अ.सा.-3), शंकर (अ.सा.-4) और सीमा बाई (अ.सा.-19)

1 (2008) 11 SCC 186
2 (2001) 10 SCC 692
3 (2007) 13 SCC 442
4 AIR 2002 SC 2419

के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी कोंदी बाई ने सभी अपीलार्थीगण के साथ मिलकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया था। वे घातक शस्त्र से सज्जित थे और विधि विरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रवि और दुकालू की हत्या की और अन्य व्यक्तियों को आहत किया। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को उचित रूप से सिद्धदोष कर दंडित किया है। विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने **राजस्थान राज्य बनाम तेजा राम और अन्य**[5] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि रात्रि में स्वतंत्र साक्षियों की अनुपस्थिति में निकटवर्ती रिश्तेदार स्वाभाविक साक्षी होते हैं और घर के निवासी सबसे स्वाभाविक साक्षी होते हैं और उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **गंगाधर बेहरा एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य**[6] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑम्निबस (एक बात में मिथ्या तो सब में मिथ्या) का सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता, यह केवल सावधानी का नियम है। रिश्तेदार साक्षी भी साक्षी होते हैं, केवल उनके साक्ष्य की सूक्ष्म जांच आवश्यक है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **सच्चे लाल तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[7] के मामले का भी अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विवाद के बाद आग्नेयास्त्र का उपयोग करके मृतक की हत्या भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं आती है और यह भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या है। विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दान सिंह एवं अन्य**[8] के मामले का अवलंब लिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है विद्वान राज्य अधिवक्ता ने **लालजी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[9] के मामले का भी अवलंब लिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक बार विधिविरुद्ध जमाव स्थापित हो जाने पर, विधिविरुद्ध जमाव के किसी अभियुक्त सदस्य की प्रत्यक्ष कार्यवाही या सक्रिय भागीदारी की पुष्टि आवश्यक नहीं है। हिंसा की युक्तियुक्त आशंका वाले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

5 JT 1999 (2) SC 279

6 (2002) 8 SCC 381
7 (2004) 11 SCC 410
8 (1997) 3 SCC 747
9 (1989) 1 SCC 437

समान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, चाहे उन्होंने कोई प्रत्यक्ष कार्यवाही की हो या नहीं, अपराध की श्रेणी में आने के लिए पर्याप्त है।

16. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को समझने के लिए, हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

17. वर्तमान मामले में, रवि और दुकालू की मृत्यु पूर्व के घातक चोटों, शंकर के घातक चोटों और शांति बाई को तेज धार वाले शस्त्र से हुई साधारण चोटों के परिणामस्वरूप हुये मानव वध के तथ्य को अपीलार्थीगण की ओर से पर्याप्त रूप से विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा डॉ. एस. चंद्रवंशी (अ.सा.-13), रवि प्र-पी-20 की शव परीक्षण रिपोर्ट, दुकालू प्र-पी-21 की शव परीक्षण रिपोर्ट, शंकर प्र-पी-22 की चोट रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट प्र-पी-23 और शांति बाई प्र-पी-24 की चोट रिपोर्ट, एक्स-रे रिपोर्ट प्र-पी-25 के साक्ष्यों से भी यह स्थापित होता है कि रवि और दुकालू की मृत्यु प्रकृति में मानव वध की है और शंकर और शांति बाई को लगी चोटें जीवन के लिए घातक हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहां तक प्रश्नाधीन अपराध में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का प्रश्न है, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सबसे पहले सभी अभियुक्त रात्रि में घर का ग्रहभेदन करने के बाद रणजीत के घर में घुसे और रणजीत की हत्या के बराबर आपराधिक मानव वध कारित किया, जिसके परिणामस्वरूप अपराध क्रमांक 398/2003 दर्ज किया गया। रणजीत की हत्या करने के बाद, सभी अभियुक्त रवि और दुकालू के घर गए और उनकी हत्या (वर्तमान अपराध) की, जिसके परिणामस्वरूप अपराध क्रमांक 399/2003 दर्ज किया गया। दोनों अपराधों की एक ही विवेचना अधिकारी द्वारा एक साथ विवेचना की गई और उसी मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामलों को सत्र न्यायालय को सौंपा था। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुंद ने दोनों सत्र विचारणों अर्थात सत्र विचारण क्रमांक 423/2003 और 424/2003 (वर्तमान मामला) की सुनवाई की और दोनों सत्र विचारणों में

अपीलार्थीगण को सिद्धदोष और दंडिक किया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने सत्र विचारण क्रमांक 423/2003 में अपीलार्थीगण को रणजीत की हत्या और नागी बाई की हत्या कारित का प्रयास करने के लिए सिद्धदोष और दंडिक किया। घातक शस्त्र से सज्जित होकर विधिविरुद्ध जमाव बनाकर और रात्रि में घर में गृहभेदन करने के बाद, अपीलार्थीगण ने उपरोक्त अपराध कारित करने के बाद, वर्तमान अपराध, अर्थात रवि और दुकालू की हत्या, को अंजाम दिया। दोनों सत्र विचारणों में साक्षियों ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध पर्याप्त अभिसाक्ष्य दिये है, केवल उनकी संख्या और दस्तावेजों का कालानुक्रमिक क्रम अलग है।

19. अपीलार्थीगण द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 423/2003 में दर्ज अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध दांडिक अपील क्रमांक 35/2006, 129/2006 और 162/2006 प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका निराकरण एक पृथक निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. दोषसिद्धि मुख्यत: चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य पर आधारित है। नागी बाई (अ.सा.-1) - मृतक दुकालू की माँ, मृतक रवि की माँ की बहन और एक अन्य मृतक रंजीत की माँ, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि रात्रि के 2-2.30 बजे के मध्य जब वह अपने घर में सो रही थी, अपीलार्थी पुनीत अन्य अभियुक्तगण विजय, नंद किशोर, संतोषी और अन्य के साथ उसके घर अर्थात रंजीत के घर आए जहाँ उन्होंने रंजीत, उस पर और रंजीत की पत्नी सीमा बाई (अ.सा.-19) पर हमला किया। रंजीत की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और फिर वह गाँव की ओर भाग गई। इसके बाद, अपीलार्थी और अभियुक्त व्यक्ति दुकालू के घर गए जहाँ उन्होंने दुकालू को गंभीर चोटें पहुँचाईं और रवि की हत्या कर दी।

21. मृतक रंजीत की पत्नी सीमा बाई (अ.सा.-19) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा है कि घटना के समय, अपीलार्थी अर्जुन, कोंदी, फूल सिंह, पुनीत और दिनेश अन्य अभियुक्तों गिरधारी, नंद किशोर, चिन्ना, नीलकंठ, दौलू, धरमू, कोडू राजू, बैगा राजू, बाबू, पिंटू, गनेसी, यशोदा और संतोष के साथ आए, उनके पास घातक शस्त्र थे, वे दीवार कूदकर उनके घर के अंदर आए और उन्होंने रंजीत और उस पर हमला

किया और फिर वह दुकालू के घर की ओर भाग गई। अभियुक्त व्यक्ति पीछा करते हुए दुकालू के घर पहुँच गए जहाँ उन्होंने रवि की हत्या कर दी और दुकालू, शंकर और शांति बाई को घातक चोटें पहुँचाईं।

22. दोनों साक्षियों नागी बाई (अ.सा.-1) और सीमा बाई (अ.सा.-19) ने घटना के पहले भाग को देखा था। वर्तमान मामले में, आहत साक्षी कृष्णा उर्फ कृष्ण कुमार (अ.सा.-2) - रणजीत के भाई ने अभिसाक्ष्य दिया है कि घटना के दिन वह रणजीत के घर में सो रहा था, अपीलार्थी अर्जुन, फूल सिंह, दिनेश और अन्य अभियुक्तों ने रणजीत पर हमला किया, एक व्यक्ति उसे सुरक्षित स्थान (खेत) में ले गया और इस तरह वह बच गया।

23. घटना के दूसरे भाग को साबित करने के लिए, जो वर्तमान मामले में विवाद है, शांति बाई (अ.सा.-3) - दुकालू की पत्नी, जो घटना के समय दुकालू के घर में उपस्थित थी, ने अभिसाक्ष्य दिया है कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना की रात्रि दुकालू और रवि घर में उपस्थित थे, रात्रि के 2-2.30 बजे (मध्यरात्रि) के बीच अभियुक्त गिरधारी, नंद किशोर और अन्य ने रवि को चोटें पहुँचानी शुरू कर दीं, जिस पर रवि सहायता के लिए चिल्लाया (भैया-भैया); उस समय, गिरधारी, नंद किशोर, बाबू, बुधा अर्जुन, पोतराजू, बड़ा अर्जुन, अपीलार्थी दिनेश, अपीलार्थी अर्जुन, अपीलार्थी फूल सिंह, यशोदा, गनेसी, अपीलार्थी कोंदी बाई, संतोषी, दौलू, नीलकंठ, अपीलार्थी पुनीत, पिंटू और विजय उसके घर में उपस्थित थे; वे तलवार, छड, खंजर, नानचाकू, लाठी, कुल्हाड़ी, सुपारी और भुजाली लिए हुए थे; उन्होंने रवि पर हमला किया; जब वह अपने कमरे से बाहर आई और बिजली जलाई, तो उन्होंने उस पर भी हमला किया। बैगा राजू ने उसके बाएं हाथ पर हमला किया। दुकालू ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, जिस पर अभियुक्त व्यक्ति दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस गए और दुकालू पर हमला कर दिया। अभियुक्तों ने दुकालू के हाथ और पैर काट दिए। उन्होंने शंकर पर भी हमला किया और उसका हाथ काट दिया। उन्होंने उसकी सास नागी बाई पर भी हमला किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24. मृतक दुकालू के घर के दूसरे कमरे में सो रहे आहत साक्षी शंकर (अ.सा.-4) ने भी शांति बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य की संपुष्टि की है और अपीलार्थी पुनीत, फूल सिंह और अन्य अभियुक्तों की शस्त्र लेकर उपस्थित होने और दुकालू व रवि पर हमला करने की बात स्वीकार की है। उसने बताया है कि अभियुक्तों ने उस पर भी हमला किया था।

25. कांता बाई (अ.सा.-5) - मृतक रवि की पत्नी ने शांति बाई (अ.सा.-3) के साक्ष्य की काफी पुष्टि की है और कथन दिया है कि अभियुक्तों ने उसके पति रवि पर हमला किया, जिस पर उसने सहायता के लिए भैया-भैया चिल्लाया। अपीलार्थी पुनीत, अभियुक्त नीलकंठ, दाऊलू, नंद किशोर, गिरधारी, चिन्ना, पिंटू, बाबू, अपीलार्थी दिनेश और गणेश उसके पति पर कुल्हाड़ी, तलवार, हॉकी स्टिक, खंजर और लोहदंड से हमला कर रहे थे, जिस पर वह अपनी मौसी के गाँव औरदा भाग गई, लेकिन रास्ते में उसे फिर से अभियुक्त मिले और वह अपने घर वापस आ गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. बचाव पक्ष ने कांता बाई (अ.सा.-5) का विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया, लेकिन वह अपने कथन पर अड़ी रही कि उसने घटना देखी है और अपीलार्थीगण ने उसके पति रवि की हत्या की है। बचाव पक्ष ने शांति बाई (अ.सा.-3) और शंकर (अ.सा.-4) से भी विस्तार से प्रतिपरीक्षण किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन दिया है कि अपराध के समय सभी अपीलार्थी उपस्थित थे, उन्होंने रवि और दुकालू पर बेरहमी से हमला किया और उनके हाथ-पैर काट दिए और शांति बाई (अ.सा.-3) और शंकर (अ.सा.-4) पर भी हमला किया जिससे शंकर (अ.सा.-4) का हाथ टूट गया। शांति बाई (अ.सा.-3) और शंकर (अ.सा.-4) आहत और रिश्नेदार साक्षी हैं और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के अनुसार वे अपीलार्थीगण से द्वेश और शत्रुता रखते थे, लेकिन केवल उनके संबंध और शत्रुता के आधार पर उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, उनके साक्ष्य की केवल बारीकी से जांच की आवश्यकता है।

27. सामान्यतः, कोई निकटवर्ती रिश्नेदार वास्तविक अपराधी को छुपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने का कार्य नहीं करेगा। रिश्नेदार साक्षियों के साक्ष्यिक मूल्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, **दलीप सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य**[10] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक साक्षी को सामान्यतः स्वतंत्र साक्षी माना जाता है, जब तक कि वह ऐसा न हो जो दूषित हो। उक्त निर्णय का कंडिका 26 इस प्रकार है:-

> "26. एक साक्षी को सामान्यतः स्वतंत्र माना जाता है, जब तक कि वह ऐसा न हो और इसका अर्थ यह है कि जब तक साक्षी के पास अभियुक्त के विरुद्ध शत्रुता जैसा कोई कारण न हो, जिससे वह उसे झूठे मामले में फँसाना चाहे। सामान्यतः, कोई निकटवर्ती रिश्नेदार वास्तविक अपराधी को छुपाने और किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामले में फँसाने का कार्य नहीं करेगा। यह सत्य है कि जब भावनाएँ तीव्र होती हैं और शत्रुता का कोई व्यक्तिगत कारण होता है, तो दोषी व्यक्ति के साथ एक निर्दोष व्यक्ति को भी शामिल करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके प्रति-साक्षी की शत्रुता होती है, लेकिन ऐसी आलोचना के लिए आधार होना आवश्यक है और केवल संबंध का तथ्य ही अगर आधार है तो यह आधार न होकर अक्सर सत्य की निश्चित गारंटी होता है। हालाँकि, हम कोई व्यापक सामान्यीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। प्रत्येक मामले की विवेचना उसके अपने तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। हमारी अवधारणा केवल उन बातों का सामना करने के लिए हैं जो अक्सर हमारे सामने आने वाले मामलों में विवेक के एक सामान्य नियम के रूप में सामने रखी जाती हैं। ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है। प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों तक सीमित रखना चाहिए और उन्हीं के द्वारा शासित होना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **अशोक कुमार चौधरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[11] के मामले में निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है,

---

10 AIR 1953 SC 364
11 2008 AIR SCW 3739

".....यह सर्वव्यापी अनुप्रयोग का नियम बनाना अनुचित होगा कि किसी शासकीय साक्षी का परीक्षण न करने से अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकलता है या पीड़ित के किसी रिश्नेदार के अभिसाक्ष्य, जो अन्यथा विश्वसनीय है, पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि शासकीय साक्षियों द्वारा न की जाए। जहाँ तक पीड़ित के रिश्नेदारों के साक्ष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है, यह सर्वविदित है, हालाँकि न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों की अधिक सावधानी और सतर्कता से परीक्षण करना चाहिए, लेकिन ऐसे साक्ष्यों को केवल अभियोजन पक्ष में उनके हित के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। यह संबंध अपने आप में किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता। केवल इसलिए कि कोई साक्षी अपराध के पीड़ित का रिश्नेदार है, उसे "हितबद्ध" साक्षी नहीं कहा जा सकता। यह सामान्य बात है कि "हितबद्ध" शब्द का अर्थ है कि संबंधित व्यक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सुनिश्चित करने में कोई हित है कि अभियुक्त को किसी न किसी तरह या तो इसलिए कि उसका अभियुक्त के साथ कोई द्वेष था या किसी अन्य अप्रत्यक्ष आशय से सिद्धदोष किया जाए, ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **हरि बनाम महाराष्ट्र राज्य**[12] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि केवल संबंध ही मृतक के चक्षुदर्शी साक्षी के रिश्नेदारों के साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, खासकर तब जब मृतक की हत्या उसके चचेरे भाई (रिश्नेदार) ने की हो। उक्त निर्णय के कंडिका 21, 22 और 23 इस प्रकार हैं,

"21. यह सत्य हो सकता है कि सभी महत्वपूर्ण साक्षी, अर्थात् अ.सा. 1, 2 और 8, मृतक के रिश्नेदार हैं, लेकिन यह अपने आप में उनके साक्ष्य को दूषित नहीं कर सकता।

12 2009 AIR SCW 2250

यह रिश्नेदारों के बीच का विवाद है, यह अभिलेख में आया है कि अपीलार्थी मृतक का चचेरा भाई है। ऐसे मामले में, रिश्नेदार ही सबसे उपयुक्त साक्षी हो सकते हैं।

22. बार में कुछ निर्णयों का अवलंब लिया गया है जिन पर विचार और व्याख्या आवश्यक है। मृतक के रिश्नेदार साक्षियों के साक्ष्य की विवेचना के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने *अवतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 12 एससीसी 524* में इस न्यायालय के एक निर्णय का अवलंब लिया। उस मामले में तथ्य बिल्कुल अलग थे और विद्वान न्यायाधीशों ने उस मामले के विशिष्ट तथ्यों में यह राय दी थी कि परस्पर विरोधी समूहों के बीच शत्रुता और द्वेष संदेह से परे स्थापित था। उस मामले में घटना के संबंध में पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी और इस न्यायालय ने साक्ष्यों पर गौर किया और राय दी कि पहले रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास करने की कहानी सत्य नहीं थी। इस मामले में, कथित तौर पर अ.सा.-1 के साथ थाने गए नंबरदार और चौकीदार का परीक्षण नहीं किया गया और अ.सा.-6-थाना प्रभारी ने इस बात से साफ इनकार किया कि दिनांक 4.12.1989 से पहले किसी ने भी उन्हें घटना की सूचना दी थी। इस न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत अत्यधिक पक्षपातपूर्ण साक्ष्यों की विवेचना करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उचित सावधानी नहीं बरती गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. लेकिन इस मामले में, तथ्यात्मक परिदृश्य बिल्कुल अलग है। यहाँ घटना घर के भीतर निकट संबंधियों के कहने पर घटित हुई और ऐसी स्थिति में केवल रिश्नेदार ही साक्षी होंगे। निस्संदेह, वर्तमान मामले में भी भूमि विवाद के कारण कुछ शत्रुता थी, लेकिन यह अपने आप में उन साक्षियों के साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं है, जो रिश्नेदार हैं, जब उनका साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय हो। तथ्यात्मक रूप से, अवतार सिंह (पूर्वोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय बिल्कुल अलग आधार पर है।

30. **मोहब्बत एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[13] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने का आधार रिश्तेदारी नहीं है, यदि झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया जाता है तो आधार विरचित किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय का कंडिका 7 इस प्रकार है,

> "7. सिर्फ़ इसलिए कि चक्षुदर्शी साक्षी परिवार का सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। जब किसी मामले में हितबद्धता का आरोप हो, तो उसे साबित करना आवश्यक है। सिर्फ़ यह कहना कि मृतक के रिश्तेदार होने के नाते वे अभियुक्त को झूठा फंसा सकते हैं, उस साक्ष्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता जो अन्यथा ठोस और विश्वसनीय है। अभियोजन पक्ष के कथन को आगे बढ़ाने के लिए हम साक्षियों की हितबद्धता से जुड़े तर्क पर भी विचार करेंगे। नाता किसी साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को नहीं छिपाता और किसी निर्दोष व्यक्ति पर आरोप लगाता है। अगर झूठे आरोप लगाने का तर्क दिया जाता है, तो आधार विरचित करना होगा। ऐसे मामलों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाना होगा और साक्ष्य का विश्लेषण करके यह पता लगाना होगा कि क्या यह ठोस और विश्वसनीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. रिश्तेदार साक्षियों के कथनों को केवल उनके रिश्ते के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालयों को उनके साक्ष्यों की अत्यंत सावधानी और सतर्कता से सूक्ष्म परीक्षण करना होगा।

32. विधिविरुद्ध जमाव का गठन एक तथ्यात्मक प्रश्न है और अभियोजन पक्ष को विधिविरुद्ध जमाव के गठन और उसके समान उद्देश्य को साबित करना होगा। विधिविरुद्ध जमाव किसी भी समय गठित किया जा सकता है और व्यक्ति किसी भी समय विधिविरुद्ध जमाव में शामिल हो सकता है, यहाँ तक

---

13 2009 AIR SCW 1486

कि चोट पहुँचाते समय भी, लेकिन अभियोजन पक्ष को ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके उपरोक्त तथ्य को साबित करना होगा कि व्यक्तियों ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया है या विधिविरुद्ध जमाव में शामिल हुए हैं जिसका समान उद्देश्य उपरोक्त अपराध को अंजाम देना था। केवल एक अपरिचित, राहगीर या विवाद या घटना देखने के लिए घटनास्थल पर एकत्रित होने के कारण ही व्यक्ति विधिविरुद्ध जमाव के गठन या अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

33. विधिविरुद्ध जमाव के गठन के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **चंद्र बिहारी गौतम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य**[14] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि विधिविरुद्ध जमाव किसी भी समय गठित हो सकता है , लेकिन विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य का अस्तित्व प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उक्त निर्णय के कंडिका 6 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 6. वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि यदि घटना अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित तरीके से घटित हुई मानी जाती है और अभियुक्तगण को घटनास्थल पर देखा गया था, तब भी उन्हें सिद्धदोष नहीं किया जा सकता और दंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि अभियोजन पक्ष कथित रूप से अभियुक्तगण को स्थापित करने में विफल रहा। धारा 149 दांडिक विधि का एक अपवाद है जिसके तहत किसी व्यक्ति को उसके प्रतिनिधि दायित्व के लिए केवल तभी सिद्धदोष किया जा सकता है और दंड दिया जा सकता है जब यह साबित हो जाए कि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य था और उसका आशय एक ही था, भले ही उसने वास्तव में अपराध में भाग लिया हो या नहीं। समान उद्देश्य के लिए हमले से पहले पूर्व सहमति और विचारों की एक ही बैठक की आवश्यकता नहीं होती है। अभियुक्तगण के एकत्र होने के बाद भी एक विधिविरुद्ध जमाव गठित हो सकता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के अस्तित्व का पता लगाना

14 JT 2002 (4) 62

आवश्यक है। यह सत्य है कि अभियुक्तगण की मात्र उपस्थिति उन्हें समान उद्देश्य साझा करने के लिए दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष को यह भी स्थापित करना होगा कि वे केवल मूकदर्शक नहीं थे बल्कि वास्तव में समान उद्देश्य साझा कर रहे थे। जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा एक साथ हमला किया जाता है, तो अक्सर यह कठिन होता है। प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का निर्धारण करने के लिए, लेकिन इसी कारण से, विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा समान उद्देश्य की प्राप्ति में किए गए अपराध के लिए, या ऐसे अपराध के लिए जिसके बारे में ज्ञात था कि समान उद्देश्य की प्राप्ति में किया जाना संभावित है, सदस्य होने का प्रावधान करने वाले व्यक्ति उस कार्य को करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से बच नहीं सकते जो अपराध की श्रेणी में आता है। आकस्मिक हुए विवाद में कोई समान उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन पीड़ित पर योजनाबद्ध हमले में, विधिविरुद्ध जमाव का गठान करने वाले व्यक्तियों के बीच समान उद्देश्य की उपस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य**[15] के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि हमले से पहले और हमले के समय विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का आचरण उचित रुप से विचारणीय है। विधिविरुद्ध जमाव का आशय तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा धारण किए गए शस्त्रों और घटनास्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत केवल घटनास्थल पर उपस्थिति ही व्यक्ति को अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी।

15 (2009) 10 SCC 773

35. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **मसालती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[16] के मामले में कंडिका 17 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:-

> "17. ..किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, यह साबित करना होगा कि वह जमाव बनाने वाले व्यक्तियों में से एक था और उसने जमाव के अन्य सदस्यों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित समान उद्देश्य को अपनाया था। धारा 142 में यह प्रावधान है कि जो कोई भी, ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है या उसमें बना रहता है, उसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, धारा 141 के पांच खंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक समान उद्देश्यों से प्रेरित और उन्हें अपनाते हुए पांच या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधिविरुद्ध जमाव है। ऐसे मामले में निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जमाव पांच या अधिक व्यक्तियों से बना था और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक समान उद्देश्यों को अपनाया था। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या जमाव में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय साक्षी थे और जमाव के समान उद्देश्य को ध्यान में रखे बिना, जमाव को एक व्यर्थ जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

36. इसी प्रश्न पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने **शेरे एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[17] के मामले में कंडिका 4 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

> "4. .....लेकिन जब बड़ी संख्या में व्यक्तियों के विरुद्ध एक सामान्य आरोप हो, तो न्यायालय स्वाभाविक रूप से ऐसे अस्पष्ट साक्ष्यों के आधार पर उन सभी को सिद्धदोष करने में हिचकिचाता है। इसलिए हमें कुछ युक्तियुक्त परिस्थितियाँ ढूँढ़नी होंगी जो

16 AIR 1965 SC 202
17 1991 Supp (2) SCC 437

आश्वासन प्रदान करें। इस दृष्टिकोण से, केवल उपर्युक्त नौ अभियुक्तगण को ही सिद्धदोष करना सुरक्षित है, जिनकी उपस्थिति का न केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट के चरण से लगातार उल्लेख किया गया है, बल्कि जिन पर कई कृत्यों का आरोप भी लगाया गया है।

37. विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों की प्रत्यक्ष कार्यवाही या सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, **लालजी (पूर्वोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार विधिविरुद्ध जमाव का गठन स्थापित हो जाने पर, विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य की प्रत्यक्ष कार्यवाही या सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता नहीं होती है और हिंसा की युक्तियुक्त आशंका वाले समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, बिना किसी प्रत्यक्ष कार्यवाही के भी, अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त है। उक्त निर्णय के कंडिका 8 और 9 इस प्रकार हैं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 8. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 में प्रावधान है कि यदि किसी विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु कोई अपराध कारित किया जाता है, या ऐसा अपराध जिसके बारे में जमाव के सदस्यों को पता था कि उस आशय की पूर्ति हेतु किया जाना संभावित है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के कारित होने के समय उसी जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में परिभाषित किया गया है, पाँच या अधिक व्यक्तियों का जमाव "विधिविरुद्ध जमाव" कहलाता है, यदि उस जमाव में शामिल व्यक्तियों का समान उद्देश्य उस धारा के खंड "प्रथम", "द्वितीय", "तृतीय", "चतुर्थ" और "पंचम" में वर्णित कोई कार्य या कार्य करना है। जैसा कि धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है, कोई जमाव, जो जमाव के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध जमाव बन सकता है। जो कोई ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए भी, जो किसी जमाव को विधिविरुद्ध जमाव बनाते हैं, जानबूझकर उस जमाव में शामिल होता है, या उसमें बना

रहता है, उसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। इस प्रकार, जब भी पाँच या अधिक व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति, विरोध के बावजूद भी, एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए, उस समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित होता है जिसमें हिंसा शामिल होने की संभावना हो या जिससे विवेकशील और दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों के मन में हिंसा की कोई युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो, तो भले ही वे अंततः अपने समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ भी किए बिना ही चले जाएँ, फिर भी उनके इस प्रकार मिलने मात्र से ही अपराध माना जाएगा। निस्संदेह, यह भय केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि किसी मूर्ख या डरपोक व्यक्ति को भयभीत कर दे, बल्कि ऐसा होना चाहिए जो उचित दृढ़ता और साहस वाले व्यक्तियों को भयभीत कर दे। इस धारा के दो आवश्यक तत्व हैं: किसी विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना और यह कि ऐसा अपराध उस जमाव के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो या ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में उस जमाव के सदस्यों को ज्ञात हो कि ऐसा अपराध किया जा सकता है। हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से दोषी नहीं होता, बल्कि केवल वे ही दोषी होते हैं जो समान उद्देश्य में भागीदार होते हैं। जमाव का समान उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में उल्लिखित पाँच उद्देश्यों में से एक होना चाहिए। विधिविरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा प्रयुक्त शस्त्रों और घटनास्थल पर या उसके पहले जमाव के व्यवहार से समझा जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला निष्कर्ष है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. धारा 149, अपराध कारित करते समय किसी विधिविरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य को उस अपराध का दोषी बनाती है। इस प्रकार इस धारा ने एक विशिष्ट और विशेष अपराध का सृजन किया। दूसरे शब्दों में, इसने विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों पर उस जमाव के किसी अन्य सदस्य द्वारा समान उद्देश्य के अनुसरण में किए गए विधिविरुद्ध कार्यों के लिए एक रचनात्मक या प्रतिनिधिक दायित्व निर्मित किया। हालाँकि,

विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों का प्रतिनिधिक दायित्व केवल विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्यों के अनुसरण में किए गए कार्यों तक, या ऐसे अपराधों तक ही विस्तारित होता है जिनके बारे में विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को उस उद्देश्य के कार्यान्वयन में किए जाने की संभावना का पता था। एक बार जब किसी व्यक्ति का मामला इस धारा के अंतर्गत आता है, तो यह प्रश्न कि उसने अपने हाथों से कुछ नहीं किया, असंगत हो जाएगा। वह यह बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकता कि उसने अपने हाथों से विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य के कार्यान्वयन में किया गया अपराध कारित नहीं किया या ऐसा अपराध नहीं किया जिसके बारे में जमाव के सदस्यों को उस आशय के कार्यान्वयन में किए जाने की संभावना का पता था। प्रत्येक व्यक्ति को उन कार्यों के संयोजन के संभावित और स्वाभाविक परिणामों का आशय रखने वाला माना जाना चाहिए जिनमें वह शामिल था। यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव का गठान करने वाले सभी व्यक्ति कोई प्रत्यक्ष कार्य करें। जब अभियुक्तगण लाठियों से सज्जित होकर एकत्रित हुए और शिकायतकर्ता पक्ष पर हमले में शामिल थे, तो अभियोजन पक्ष यह साबित करने के लिए बाध्य नहीं है कि किस अभियुक्त द्वारा कौन-सा विशिष्ट प्रत्यक्ष कार्य किया गया था। यह धारा विधिविरुद्ध जमाव के किसी सदस्य को प्रत्येक और सभी के कार्यों के लिए केवल इसलिए उत्तरदायी बनाती है क्योंकि वह विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य है। जबकि प्रत्यक्ष कार्य और सक्रिय भागीदारी अपराध कारित करने वाले व्यक्ति के समान आशय का संकेत दे सकती है, विधिविरुद्ध जमाव में मात्र उपस्थिति धारा 149 के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधिक दांडिक दायित्व को सुनिश्चित कर सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 149 के अंतर्गत रचनात्मक अपराध का आधार अपेक्षित समान उद्देश्य या ज्ञान के साथ विधिविरुद्ध जमाव की मात्र सदस्यता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

38. विधिविरुद्ध जमाव के उद्देश्य/समान उद्देश्य के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **दान सिंह मामले (पूर्वोक्त)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि हमला करने वाले पक्ष के सदस्यों के उद्देश्य का पता उनकी चोटों की संख्या और प्रकृति तथा उनके द्वारा प्रयोग किए गए शस्त्रों से लगाया जा सकता है। एक जमाव जो शुरू में वैध लगता है, बाद में अवैध हो सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका 30 और 31 इस प्रकार हैं:-

> "30. उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए उपरोक्त तथ्यों से, आइए हम जांच करें कि क्या कोई विधि विरुद्ध जमाव का गठन हुआ था और उसका समान उद्देश्य क्या था। यह संभव है कि जिस समय "डोली" रोकी गई थी उस समय कोई विधि विरुद्ध जमाव मौजूद नहीं थी। फिर भी सभी चक्षुदर्शी साक्षी के साक्ष्य के अनुसार, बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां एकत्र हुए थे और उनके पास लाठी-डंडे थे। भा.दं.सं. की धारा 141 की व्याख्या के अनुसार, एक सभा जो एकत्रित होते समय विधिविरुद्ध नहीं होती है, बाद में एक विधि विरुद्ध जमाव बन सकती है। *लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य {(1989) 1 एससीसी 437: 1989 एससीसी (क्रि) 211}* के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि "विधि विरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य जमाव की प्रकृति, उनके द्वारा प्रयोग किए गए शस्त्रों और घटनास्थल पर या उससे पहले जमाव के व्यवहार से समझा जा सकता है। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से निकाला जाने वाला एक निष्कर्ष है।" वर्तमान मामले में जो हुआ वह ठीक वैसा ही है जैसा कि भा.दं.सं. की धारा 141 की व्याख्या में परिकल्पित किया गया है। खीमा नंद के आहत होने के साथ ही, चारों ओर कोहराम मच गया। डोमों को जलाकर मार डालने की मांग की गई, और ठीक यही हुआ। बारात पर ग्रामीणों ने हमला किया। बारात के छह सदस्यों को जला दिया गया, जिनमें से पाँच को गाँव के एकमात्र डोम निवासी के घर में बंद कर दिया गया था, जिसका घर भी जला दिया गया था। आठ अन्य लोगों का पीछा किया गया और फिर बेरहमी से पीटा गया और गाँव में कहीं और मार डाला गया। हम यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समझने में असफल हैं कि इन परिस्थितियों में कोई भी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकता है कि डोमों की हत्या के समान उद्देश्य वाली कोई विधि विरुद्ध जमाव मौजूद नहीं थी, जबकि चौदह लोगों को लाठी या पत्थर से ज़्यादा घातक किसी शस्त्रों का प्रयोग किए बिना ही मार दिया गया। मरने वाले लोगों की चोटों की संख्या को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि हमले में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे होंगे। भले ही ग्रामीणों का जमाव शुरू में वैध रहा हो, वही, निस्संदेह, विधिविरुद्ध हो गया जब खीमा नंद के आहत होने के बाद दंगा शुरू हुआ। सभी चक्षुदर्शी साक्षियों ने कहा है कि हमले में पचास या उससे अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया था। जमाव के सदस्य कौन थे, इस पर बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब घटना शुरू हुई, तब बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडों से सज्जित होकर मौजूद थे और जिन छह लोगों को जला दिया गया, उन्हें छोड़कर आठ अन्य को लाठी, डंडों और पत्थरों से पीट-पीटकर मार डाला गया। उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को समझना कठिन है कि, परिस्थितियों के अनुसार, हमलावरों का उद्देश्य संभवतः एक जैसा था, लेकिन एक समान उद्देश्य नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. यह तर्क दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि पूरी घटना के दौरान विधिविरुद्ध जमाव मौजूद था। यह स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि गाँव में बारातियों के केवल चौदह शव ही बचे थे। बारातियों के केवल वे सदस्य ही अपनी जान बचा पाए जो भाग गए थे। इस मामले में हम केवल यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक विधिविरुद्ध जमाव था जिसने बारातियों पर हमला किया और जिसका एक ही उद्देश्य था कि उन्हें मार डाला जाए, और वे अपने प्रयास में काफी हद तक सफल भी रहे।

39. विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों के प्रत्यक्ष कृत्य के समान उद्देश्य और आवश्यकता के प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने **गंगाधर (पूर्वोक्त)** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि

समान उद्देश्य से संबंधित साक्ष्य सामान्यतः उपलब्ध नहीं होते हैं और उन्हें किए गए कृत्य और उसके परिणामों से एकत्रित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार जमाव बन जाने के बाद, जमाव के किसी भी सदस्य का प्रत्यक्ष कृत्य एकत्रित नहीं होता है और यहाँ तक कि जो जमाव शुरू में वैध लगता है, वह भी बाद में विधिविरुद्ध हो सकता है। उक्त निर्णय के कंडिका 22, 23 और 24 इस प्रकार हैं:-

> 22. एक अन्य तर्क जिस पर ज़ोर दिया गया, वह इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 149, रचनात्मक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए लागू होती है, जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य शर्त है। यहाँ ज़ोर समान उद्देश्य पर है, समान आशय पर नहीं। किसी विधिविरुद्ध जमाव में केवल उपस्थिति मात्र से किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि कोई समान उद्देश्य न हो और वह उस समान उद्देश्य से प्रेरित न हुआ हो और वह उद्देश्य धारा 141 में वर्णित उद्देश्यों में से एक न हो। जहाँ किसी विधिविरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, वहाँ अभियुक्तगण को धारा 149 के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। यह निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या जमाव में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 में निर्दिष्ट एक या अधिक समान उद्देश्यों को पूरा किया था। विधि के सामान्य प्रस्ताव के रूप में यह प्रतिपादित नहीं किया जा सकता कि जब तक किसी व्यक्ति, जिस पर विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप है, के विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष कार्य सिद्ध न हो जाए, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि वह जमाव का सदस्य है। केवल यह आवश्यक है कि उसे यह समझ लेना चाहिए था कि जमाव विधिविरुद्ध था और उसके धारा 141 के अंतर्गत आने वाले किसी भी कार्य को कर सकता था। "उद्देश्य" शब्द का अर्थ लक्ष्य या योजना है और इसे "समान" बनाने के लिए, इसे सभी के द्वारा साझा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन सभी व्यक्तियों के लिए समान होना चाहिए जो जमाव का गठन करते हैं, अर्थात्, वे सभी इसके विषय में जानते हों और इसमें सहमत

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

हों। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट सहमति से एक समान उद्देश्य बनाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसे जमाव के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किसी भी स्तर पर बनाया जा सकता है और अन्य सदस्य बस इसमें शामिल होकर इसे अपना सकते हैं। एक बार बन जाने के बाद, इसे वैसा ही बने रहने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित, परिवर्तित या त्यागा जा सकता है। धारा 149 में उल्लिखित "समान उद्देश्य के कार्यान्वयन में" शब्द का कड़ाई से अर्थ "समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए" के समतुल्य माना जाना चाहिए? उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर इसे समान उद्देश्य से सीधा संबद्ध होना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष चरण तक ही मौजूद रह सकता है, उसके बाद नहीं। एक विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों का समुदाय उद्देश्य की एक निश्चित सीमा तक हो सकता है जिसके आगे उनके उद्देश्यों में भिन्नता हो सकती है और प्रत्येक सदस्य के पास जो ज्ञान है कि उनके समान उद्देश्य के कार्यान्वयन में क्या किया जा सकता है, वह न केवल उसके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भिन्न हो सकता है, बल्कि इस सीमा के अनुसार भी भिन्न हो सकता है कि वह किस सीमा तक उद्देश्य के समुदाय को साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं. की धारा 149 का प्रभाव एक ही समूह के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. "समान उद्देश्य" "समान आशय" से भिन्न है क्योंकि इसके लिए हमले से पहले किसी पूर्व सहमति और विचारों की एक समान बैठक की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रत्येक का उद्देश्य एक ही हो और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक हो और वे उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करें, तो यह पर्याप्त है। किसी समूह का "समान उद्देश्य" उसके सदस्यों के कार्यों और भाषा से, और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना चाहिए। यह समूह के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से ज्ञात किया जा सकता है। घटना के किसी विशेष चरण में विधिविरुद्ध जमाव का समान उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से एक तथ्यात्मक प्रश्न है जिसका निर्धारण समूह की

प्रकृति, सदस्यों द्वारा धारण किए गए शस्त्रों और घटनास्थल पर या उसके आसपास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। विधि के तहत यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव के सभी मामलों में, एक विधिविरुद्ध समान उद्देश्य के साथ, उसे कार्यान्वित किया जाए या सफल बनाया जाए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी जमाव जो एकत्रित होने के समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि किसी जमाव को विधिविरुद्ध बनाने के लिए आवश्यक आशय या उद्देश्य शुरू से ही अस्तित्व में आ जाए। विधिविरुद्ध आशय बनाने का समय तात्विक नहीं है। कोई भी जमाव जो अपने आरंभ में या उसके बाद कुछ समय के लिए भी विधिपूर्ण हो, बाद में विधिविरुद्ध हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह घटना के दौरान, घटना के समय या तत्काल, विकसित हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 दो भागों में विभाजित है। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला अपराध ऐसा होना चाहिए जो समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। अपराध को पहले भाग के अंतर्गत आने के लिए, अपराध का उस विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होना आवश्यक है जिसका अभियुक्त सदस्य था। यदि किया गया अपराध जमाव के समान उद्देश्य के प्रत्यक्ष अभियोजन में न भी हो, तब भी वह धारा 141 के अंतर्गत आ सकता है, यदि यह माना जा सके कि अपराध ऐसा था जिसके बारे में सदस्यों को ज्ञात था कि वह किया जा सकता है और धारा के दूसरे भाग में यही अपेक्षित है। जिस उद्देश्य के लिए जमाव के सदस्य निकले थे या जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, वही उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य एक ही है, तो जिस उद्देश्य की प्राप्ति की जा रही है, उसका ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे इस बात पर सामान्य रूप से सहमत होते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए और अब यही जमाव का समान उद्देश्य है। एक उद्देश्य मानव मन में होता है, और चूँकि यह केवल एक मानसिक प्रवृत्ति है, इसलिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण

उपलब्ध नहीं हो सकता और आशय की तरह, इसे सामान्यतः उस कार्य और उसके परिणाम से प्राप्त किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है। यद्यपि परिस्थितियों के आधार पर कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता जिससे समान उद्देश्य का पता लगाया जा सके, फिर भी इसे जमाव की प्रकृति, उसके द्वारा धारण किए गए शस्त्रों और घटनास्थल पर, उसके पहले या बाद के व्यवहार से उचित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। धारा की दूसरी शाखा में प्रयुक्त शब्द "जानता था" एक संभावना से अधिक कुछ दर्शाता है और इसे "ज्ञात हो सकता था" का अर्थ नहीं दिया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब समान उद्देश्य के लिए कोई अपराध कारित किया जाता है, तो सामान्यतः वह ऐसा अपराध होगा जिसके बारे में विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों को पता था कि समान उद्देश्य के लिए ऐसा अपराध किया जाना संभावित है। हालाँकि, इससे विपरीत कथन सत्य नहीं हो जाता; ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं लेकिन पहले भाग के अंतर्गत नहीं। धारा 149 के दोनों भागों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज़ या मिटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित किया जाने वाला विवाद्यक होगा कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के अंतर्गत आता है या यह ऐसा अपराध था जिसके विषय में जमाव के सदस्यों को पता था कि समान उद्देश्य के कार्यान्वयन में ऐसा किया जाना संभावित है और यह दूसरे भाग के अंतर्गत आता है। हालाँकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जो पहले भाग के अंतर्गत आते हों, समान उद्देश्य के कार्यान्वयन में किए गए अपराध साधारणतः , यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे भाग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात, ऐसे अपराध जिनके बारे में पक्षकारों को पता था कि समान उद्देश्य के कार्यान्वयन में ऐसा किया जाना संभावित है। (देखें चिक्कारंगे गौड़ा बनाम मैसूर राज्य, एआईआर 1956 एससी 731: 1956 क्रि एलजे 1365।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

40. उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, विधिविरुद्ध जमाव के गठन के लिए पाँच या पाँच से अधिक सदस्यों की आवश्यकता होती है, उनका समान उद्देश्य भारतीय दंड संहिता की धारा 141 के अनुसार अपराध कारित करना होना चाहिए। विधिपूर्वक गठित जमाव किसी भी समय विधिविरुद्ध जमाव में परिवर्तित हो सकता है। सामान्यतः विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका अनुमान विधिविरुद्ध जमाव द्वारा किए गए कार्य से लगाया जा सकता है और यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप एक बार यह सिद्ध हो जाता है कि विधिविरुद्ध जमाव गठित किया गया है, तो विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य का कोई प्रत्यक्ष कार्य या सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है। सभी सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अनुसार अपराध के कारित होने या विधिविरुद्ध जमाव के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

41. उपर्युक्त प्राधिकारियों द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस तथ्य को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं कि सभी अपीलार्थी 15-20 अन्य व्यक्तियों के साथ अपराध के समय रात्रि के 2 से 2.30 बजे के बीच रवि और दुकालू के घर में उपस्थित थे, उन्होंने घातक शस्त्रों से रवि और दुकालू को गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने शंकर की हत्या का भी प्रयास किया। वर्तमान मामले में, अन्य सह-अभियुक्तगण सहित सभी अपीलार्थी रात्रि में गृहभेदन करने के बाद रात्रि के 2.30 बजे दुकालू और रवि के घर में उपस्थित थे, उन्होंने दुकालू और रवि की हत्या कर दी और घातक शस्त्रों से शंकर को भी घातक चोटें पहुंचाईं। रवि और दुकालू के घर में प्रातः 2.30 बजे अपीलार्थीगण की उपस्थिति अन्यथा स्वाभाविक नहीं थी और उनकी उपस्थिति का कोई कारण नहीं था, अपीलार्थी चीख-पुकार सुनकर अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई घटना को देखने के लिए एकत्र नहीं हुए थे या वे मृतक और आहत व्यक्तियों को बचाने के लिए घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे। अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थीगण की उपस्थिति, इस तरह की विधिविरुद्ध जमाव द्वारा रवि और

दुकालू की हत्या और शंकर को घातक चोटें पहुँचाना स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अपीलार्थीगण ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर एक विधिविरुद्ध जमाव का गठन किया था जिसका समान उद्देश्य रवि और दुकालू की हत्या करना और गृहभेदन करने के बाद शंकर को घातक चोटें पहुँचाना था, और विधिविरुद्ध जमाव के समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपीलार्थीगण और अन्य व्यक्तियों ने, जो घातक शस्त्र से सज्जित थे, उपरोक्त अपराध कारित किया है। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष को अपीलार्थीगण द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिका और उन्हें सौंपी गई भूमिका या उनके प्रत्यक्ष कृत्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के तहत उपरोक्त अपराध के घटित होने के लिए उत्तरदायी हैं। यह अपराध का दूसरा भाग है, पहले भाग में अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी कोंदी बाई की उपस्थिति सिद्ध नहीं की है, लेकिन इस मामले में, अर्थात् अपराध के दूसरे भाग में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य द्वारा उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति स्पष्ट रूप से सिद्ध की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. **संभाजी (पूर्वोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि विधिविरुद्ध जमाव के गठन के विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य विधिविरुद्ध जमाव के गठन को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए, **संभाजी (पूर्वोक्त**) का मामला तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से भिन्न है।

43. जैसा कि **फागू (पूर्वोक्त)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था, तीनों अभियुक्तगण की भूमिका दोषसिद्ध करने वाली नहीं थी, लेकिन वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष

ने विधिविरुद्ध जमाव का गठन स्थापित किया है जिसमें अपीलार्थी सदस्य थे। **फागू (पूर्वोक्त)** का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

44. **भग्गा (पूर्वोक्त**) के मामले में, अभियुक्त की उपस्थिति और उसकी भूमिका से संबंधित तात्विक विसंगति के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे अभियुक्तगण की दोषसिद्धि को उलट दिया है। लेकिन वर्तमान में, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण की सक्रिय उपस्थिति साबित कर दी है। इसलिए, **भग्गा (पूर्वोक्त)** का मामला भी वर्तमान मामले के तथ्यों के आधार पर भिन्न है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

45. **बोया (पूर्वोक्त)** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मृतक पर हमला करने वाले अभियुक्तगण के साथ-साथ अभियुक्तगण के नामों के अभाव और ऐसे अभियुक्तगण की भूमिका से संबंधित साक्ष्य के अभाव में, दोषसिद्धि संधारणीय संभव नहीं पाया गया। लेकिन वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष ने मृतक के घर के अंदर विषम समय अर्थात प्रातः 2.30 बजे (रात्रि में) अपीलार्थीगण की उपस्थिति और उनकी सक्रिय उपस्थिति तथा विधिविरुद्ध जमाव के गठन को साबित कर दिया है। इसलिए, **बोया (पूर्वोक्त)** का मामला भी तथ्यों के आधार पर वर्तमान मामले से भिन्न है।

46. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को उपरोक्त तरीके से सिद्धदोष और दंडित किया है। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के तहत विश्वसनीय, निर्णायक और विधिक साक्ष्य पर आधारित हैं। अपीलार्थीगण ने विधिविरुद्ध जमाव के गठन के बाद दो व्यक्तियों की नृशंस हत्या की थी। विचारण न्यायालय ने

अपीलार्थीगण को सिद्धदोष और दंडित करने में कोई अवैधता नहीं की है। साक्ष्यों की गहन जाँच करने पर, हमें आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता नहीं दिखती।

47. परिणामस्वरूप, अपीलें गुण-दोष से रहित हैं और खारिज किए जाने योग्य हैं, अतः इन्हें खारिज किया जाता है।

सही/- **सही/-**

टी.पी. शर्मा **आर.एल. झंवर**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate